NR-869

8

लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024
द्वारा फैक्स/ई-मेल/सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

संख्या-डीजी-चार-101(106)/2023/2997 दिनॉकः लखनऊः सितम्बर 23 ,2023

सेवा में,

1. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
2. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/वाराणसी/कानपुर नगर/आगरा/गाजियाबाद एवं प्रयागराज।

विषयः आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण/तैनाती के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषय में अवगत कराना है कि उ0प्र0शासन, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्याः एन0-131/2023-सी0एक्स0-2 दिनांकित सितम्बर, 2023 द्वारा आगामी लोकसभा सामान्य चुनाव-2024 के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक तथा निरीक्षक/उप निरीक्षक, जिनकी सेवाएं एक जनपद में 03 वर्ष पूर्ण हो चुकी है या दिनांकः 31.05.2024 तक 03 वर्ष पूर्ण हो जाएगी अथवा उनके विरूद्ध कोई जॉच/शिकायत प्रचलित हो, की स्क्रीनिंग हेतु शासन द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी का गठन करते हुए कमेटी की आख्या विवरण सहित पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के माध्यम से शासन को 07 दिवस में उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2. आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 के परिपेक्ष्य में अराजपत्रित कर्मियों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही अपेक्षित है :-

(1) निर्वाचन कार्य में लगा कोई भी निरीक्षक/उप निरीक्षक पुलिस अपने गृह जनपद में नियुक्त हो तो उसे जनपद से स्थानान्तरित किया जाए।

(2) पुलिस निरीक्षक के प्रकरण में वह निरीक्षक जो कट आफ डेट दिनांकः31.05.2024 तक विगत 04 वर्षो में 03 वर्ष की अवधि पूर्ण कर रहे हैं, को उस जनपद से अन्य जनपद में स्थानान्तरित किया जाना है।

(3) जो निरीक्षक दिनांकः31.05.2022 से पूर्व उस विधान सभा क्षेत्र में हुए सामान्य/उप निर्वाचन में नियुक्त रहे हैं या लगातार नियुक्त है, को भी उस जनपद से अन्य जनपद में स्थानान्तरित किया जायेगा।

(4) जो उपनिरीक्षक विगत 04 वर्षों में 03 वर्ष की अवधि कट आफ डेट दिनांकः 31.05.2024 तक उस पुलिस सब डिवीजन में पूर्ण कर रहे है, का स्थानान्तरण उस पुलिस सब डिवीजन से दूसरे पुलिस सब डिवीजन जो उस विधान सभा क्षेत्र में न पड़ता हो में स्थानान्तरित किया जाना है। अगर जिले के छोटे क्षेत्र की वजह से यह किया जाना सम्भव न हो तो उसे जनपद से बाहर स्थानान्तरित किया जाय।

(5) जो उपनिरीक्षक दिनांकः31.05.2024 से पूर्व उस विधान सभा/लोक सभा क्षेत्र में हुए सामान्य/उपनिर्वाचन में नियुक्त रहे हैं या लगातार नियुक्त हैं, का भी स्थानान्तरण उस पुलिस सब डिवीजन से अन्य विधान सभा क्षेत्र में किया जाय।

(6) 03 वर्ष की अवधि में निरीक्षक/उप निरीक्षक की उस जनपद में पदोन्नति से पूर्व की नियुक्ति अवधि को भी जोड़ा जायेगा।

(7) ऐसे निरीक्षक/उप निरीक्षक जो आगामी 06 माह (कट ऑफ डेट 31.05.2024) में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें उपरोक्त निर्देशों से मुक्त रखा जायेगा परन्तु वे चुनाव सम्बन्धित कर्तव्यों में नियोजित नहीं किये जायेंगे।

(8) यदि किसी कर्मी के विरूद्ध विगत चुनाव में शिकायत के आधार पर अन्यत्र स्थानान्तरित किया गया हो अथवा उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी हो तो उससे निर्वाचन सम्बन्धी कार्य नहीं लिया जाय।

(9) कोई भी निरीक्षक/उपनिरीक्षक के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट शिकायत या किसी राजनैतिक दल के प्रति पूर्वाग्रह या पक्षपात की शिकायत है तो उसे अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाय, यदि प्रकरण गम्भीर है और जोन/कमिश्नरेट में समायोजन सम्भव नहीं है तो प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु इस मुख्यालय को संदर्भित किया जाय।

(10) कोई भी निरीक्षक/उपनिरीक्षक जो जनपदीय पुलिस में कार्य हेतु उपयुक्त नहीं है तो उसके सम्बन्ध में प्रस्ताव कारण सहित इस मुख्यालय को संदर्भित किया जाय।

2– अतः अनुरोध है कि उपरोक्त विषयक प्रावधानों से आच्छादित हो रहे निरीक्षक/उपनिरीक्षक का जनपद/परिक्षेत्र/जोन/कमिश्नरेट स्तर पर समायोजन/स्थानान्तरण की कार्यवाही बिलम्बतम **दिनांकः30.09.2023** तक अवश्य पूर्ण कर ली जाय और इस आशय का **प्रमाण पत्र (प्रारूप संख्या- 01)** इस मुख्यालय को उपलब्ध करायें कि उक्त निर्देशों के अनुरूप आपके जोन/कमिश्नरेट/परिक्षेत्र/जनपद स्तर पर निरीक्षक/उपनिरीक्षक के स्थानान्तरण की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है तथा उक्त निर्देशों के विपरीत कोई निरीक्षक/उपनिरीक्षक जोन/कमिश्नरेट/परिक्षेत्र/जनपद स्तर पर स्थानान्तरण/समायोजन किया जाने हेतु शेष नहीं है।

3– समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त उक्त के अतिरिक्त ऐसे कर्मियों जिनका समायोजन जोन/कमिश्नरेट के अन्तर्गत सम्भव नहीं हो पा रहा है उनका नामांकन **सेवा-विवरण** निर्धारित संलग्नक **प्रारूप-02** में तथा ऐसे निरीक्षक/उप निरीक्षक जिनके विरूद्ध कोई जॉच/शिकायत प्रचलित हो और उनका समायोजन जोन/कमिश्नरेट स्तर पर न हो पा रहा हो तो उनका विवरण संलग्न **प्रारूप-03** में **दिनांकः** 30.09.2023 तक इस मुख्यालय को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उक्त अधिकारियों के समायोजन/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से कार्यवाही की जा सके।

संलग्नकःयथोपरि।

(संजय सिंघल)
अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना
उ0प्र0, लखनऊ।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उप पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद, उ0प्र0।

प्रारूप संख्या-01

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पत्र संख्याः डीजी-चार-101(106)2023, दिनांकः 23.09.2023 में उल्लिखित निर्देशों का भलीभाँति अध्ययन कर तद्नुसार दिये गये निर्देशों के अनुरूप जोन/कमिश्नरेट स्तर पर समीक्षोपरान्त प्रेषित सूचनायें सही है एवं इसके अतिरिक्त कोई निरीक्षक/उप निरीक्षक समायोजन/स्थानान्तरण हेतु शेष नही हैं।

नाम व हस्ताक्षर
अपर पुलिस महानिदेशक, जोन/
पुलिस आयुक्त।

प्रारूप संख्या-02

ऐसे **निरीक्षक/उप निरीक्षक** का विवरण जिनका समायोजन/स्थानान्तरण जोन/कमिश्नरेट स्तर पर न होकर मुख्यालय स्तर से किया जाना है तो उनका विवरणः-

क्र0 सं0	पदनाम	पीएनओ	कर्मी का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	भर्ती तिथि	जाति	गृह जनपद	पूर्व नियुक्तियों का विवरण			दिनांकः31.05.2024 तक वर्तमान जनपद में कुल नियुक्तियों की अवधि *	अन्य कोई उल्लेखनीय बिन्दु
									जनपद/ इकाई	कब से	कब तक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

नाम व हस्ताक्षर
अपर पुलिस महानिदेशक, जोन/
पुलिस आयुक्त।

नोट :-

1- *कुल नियुक्तियों की अवधि से तात्पर्य है कि जनपद में वर्तमान पद व उससे कनिष्ठ पद पर भी यदि नियुक्त रहा हो तो उन पदों की कुल अवधि को जोड़कर अंकित किया जाय।

2- उक्त **निरीक्षक/उपनिरीक्षक** का **सेवा-विवरण** के साथ उपरोक्त प्रारूप में वांछित सूचना भी प्रेषित की जाय। प्रेषित की जाने वाली सूचना में फॉन्ट साईज, एक्सल व भाषा कुर्ती देव-10 में निम्न प्रकार से भेजना आवश्यक होगा :-

1. फोन्ट साईज 14
2. एक्सल साफ्ट कापी में।
3. कुर्ती देव 10 में।

प्रारूप-03

ऐसे **निरीक्षक/उप निरीक्षक** जिनके सम्बन्ध में कोई विशिष्ट शिकायत/जॉच या किसी राजनैतिक दल के प्रति पूर्वाग्रह या पक्षपात की शिकायत है तो उनका विवरणः-

क्र0 सं0	कर्मी का नाम व पदनाम	पीएनओ	जन्मतिथि	जाति	गृह जनपद	पूर्व नियुक्तियों का विवरण	दिनांक:31.05.2024 तक वर्तमान जनपद में कुल नियुक्तियों की अवधि *	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	स्थानान्तरण का औचित्य	अन्य कोई उल्लेखनीय बिन्दु
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

नाम व हस्ताक्षर
अपर पुलिस महानिदेशक, जोन/
पुलिस आयुक्त।

* कुल नियुक्तियों की अवधि से तात्पर्य है कि जनपद में वर्तमान पद व उससे कनिष्ठ पद पर भी यदि नियुक्त रहा हो तो उन पदों की कुल अवधि को जोड़कर अंकित किया जाय।